

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औ.सं. समूह)

\*\*\*\*\*

एसटीसी /मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं/02035(3)/2014

दिनांक : 04.01.2021


परिपत्र संख्या:औ.सं./01/2021

विषय: बोर्ड स्तर/ बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों एवं स्टॉफ संवर्ग के लिए दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक मंहगाई भत्ते का स्थिर (फ्रीज) किये जाने के संबंध में।

कोविड-19 के संकट को देखते हुए, केंद्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) के कर्मचारियों, जो आईडीए वेतन संशोधन दिशानिर्देशों 2017, 2007, 1997, 1992 और 1987 के तहत वेतन प्राप्त कर रहे हैं, के लिए डीपीई द्वारा कार्यालय जापन सं. डब्ल्यू-02/0039/2017-डीपीई (डब्ल्यू सी)-जीएल-XVI/20 दिनांक 19.11.2020 से अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की किश्त को दिनांक 01.10.2020 से 30.06.2021 तक स्थिर (फ्रीज) रखने के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। तथापि, मौजूदा दर पर (01.07.2020 से) मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि कॉर्पोरेशन के सभी कर्मचारियों को दिनांक 30.06.2021 तक मौजूदा दर अर्थात 159.9% पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाना जारी रहेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

  
(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

ईमेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक-गण/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के प्रभागाध्यक्ष
- शाखा प्रबंधक - आगरा
- सभी प्रतिनिधि कार्यालय

प्रतिलिपि

- उप महाप्रबंधक (वित्त) (स्थापना एवं लेखा), मुख्यालय
- सूचना पट्ट

**THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI**

PERSONNEL DIVISION

(I.R. GROUP)

\*\*\*\*\*

STC/CO/PER/IR/02035(3)/2014

Date : 04.01.2021


CIRCULAR NO: IR/01/2021

**SUB : FREEZING OF DA TO THE BOARD LEVEL/ BELOW BOARD LEVEL EXECUTIVES AND  
STAFF CADRES W.E.F 01.10.2020 TILL 30.06.2021**

In view of the crisis arising out of COVID-19, guidelines have been issued by DPE vide OM No.W-02/0039/2017- DPE (WC)-GL-XVI/20 dated 19.11.2020 in order to freeze the additional installments of Dearness Allowance payable to Employees of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) drawing pay as per 2017, 2007, 1997, 1992 & 1987 IDA pay revision guidelines, w.e.f from 01.10.2020 till 30.06.2021. However, the Dearness Allowance at current rates (w.e.f 01.07.2020) will continue to be paid.

Accordingly, it has been decided that the existing DA rate i.e 159.9% will continue to be paid to all employees of the Corporation till 30.06.2021.

This issues with the approval of Competent Authority.

  
(S. K. Meena)

Joint General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- Branch Manager- Agra
- All Representative Office

Copy to

- DGM(F)(A&E), CO
- Notice Board